प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः–ए.सी.बी. चौकी कोटा देहात थाना.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर
   प्र0सू0रि0संख्या ....359/2022 दिनांक....12/9/2022
2. (1) अधिनियम–भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा–07
   (2) अधिनियम– भारतीय दण्ड सहिंता .....धारा – 201
   (3) अधिनियम.....धारायें –.....
   (4) अन्य अधिनियम धारायें.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....217.....समय.....7:00 P.M.
   (ब) अपराध घटने का दिन ... शुक्रवार....दिनांक....09.09.2022 ...समय 06.28 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 02.09.2022 समय 08.00 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक – हस्तलिखित रिपोर्ट
5. घटना स्थलः– आरोपी का निजि आवास, मानोतिया मोहल्ला, ग्राम गोपालगढ, जिला भरतपुर

(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– बजानिब उत्तर–पूर्व व 360 कि.मी.

(ब) 'पताः– आरोपी का निजि आवास, मानोतिया मोहल्ला, ग्राम गोपालगढ, जिला भरतपुर जरायम देही संख्या.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना –

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नामः– श्री मुकेश कुमार दीक्षित

(ब)पिता का नाम – श्री रमेश चंद्र

(स) जन्म तिथी/वर्ष..... उम्र 47 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता.– भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....

(र)व्यवसाय–व्यवसाय

(ल) पता – वार्ड नं.–2, बैंक के पास, गोपालगढ (पहाडी), भरतपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–

   (1) श्री भगवानसिंह पुत्र रामजीलाल जाति धोबी उम्र 38साल निवासी मानोतिया मौहल्ला ग्राम गोपालगढ, थाना गोपालगढ, जिला भरतपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत, गोपालगढ, पंचायत समिति पहाडी, जिला भरतपुर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारणः–..... शून्य..
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.....35,000/– रूपये.....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.09.2022 को समय 08:00 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश कुमार दीक्षित पुत्र श्री रमेश चंद्र, उम्र 47 साल, जाति ब्राहमण, निवासी वार्ड नं. –2, बैंक के पास, गोपालगढ (पहाडी), भरतपुर मोबाईल नं. 9079976140 ने उपस्थित कार्यालय होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष इस आशय का पेश किया कि" मैं मुकेश कुमार दीक्षित पुत्र श्री रमेश चंद्र, उम्र 47 साल, जाति ब्राहमण, निवासी वार्ड नं.–2, बैंक के पास, गोपालगढ (पहाडी), भरतपुर का रहने वाला हूं। मैंने मेरी मैन बाजार गोपालगढ की 03 दुकान 2021 में श्री गजेन्द्र शर्मा (डब्बू) निवासी गोपालगढ को गिरवी रखकर उसके पक्ष में जरिए रजिस्ट्री बेचान कर दी थी। अब उनकी मियाद पूरी होने पर मैंने ब्याज सहित मूल रकम श्री गजेन्द्र शर्मा उर्फ डब्बू की चुकता कर दी है। उक्त तीन दुकानो को श्री गजेन्द्र शर्मा उर्फ डब्बू से वापस मेरे नाम रजिस्ट्री करवानी है, मेरी दुकानो के नक्शे को ग्राम पंचायत से प्रमाणित करवाना है। मेरी दुकानो के नक्शे प्रमाणित करने की एवज में सरपंच श्री भगवान सिंह 20,000 रुपये मांग रहा है। इनके अलावा आबादी भूमि में स्थित मेरी दो दुकान मैं, श्रीमति कमलेश शर्मा निवासी गोपालगढ को बेच रहा हूं । इन दुकानों के नक्शे प्रमाणित करने की एवज में सरपंच भगवान सिंह 20,000 रुपये प्रति दुकान के हिसाब से कुल 40,000 रुपये मेरे से रिश्वत के रुप में

मांग रहा है। इस प्रकार कुल 60,000 रुपये सरपंच श्री भगवान सिंह ग्राम पंचायत, गोपालगढ मेरे से मांग रहा है। मैं मेरे जायज काम के बदले रिश्वत नही देना चाहता हूं और सरपंच को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मेरी सरपंच से कोई रंजिश नही है और ना ही कोई उधार का लेन–देन बकाया है। सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें। कार्यवाही ब्यूरो : प्रमाणित किया जाता है कि रिपोर्ट हाजा परिवादी श्री मुकेश कुमार दीक्षित पुत्र श्री रमेश चंद्र, उम्र 47 साल, जाति ब्राहमण, निवासी वार्ड नं.–2, बैंक के पास, गोपालगढ (पहाडी), भरतपुर ने हस्तलिखित तहरीर पेश की। परिवादी ने दरयाफ्त पर बताया कि सरपंच अब जब भी मुझे रिश्वती राशि के सम्बंध में बातचीत हेतु बुलाएगा तो मैं आपको जर्ये मोबाईल सूचित कर दूंगा। चूंकि डा. प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा देहात गोपनीय राजकार्य से बाहर होने से इस सम्बंध में उच्चाधिकारियों को हालात निवेदन कर निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई। प्रार्थना पत्र तथा परिवादी से दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या रिश्वत की मांग का होना पाया गया।

दिनांक 06.09.2022 को समय 10.45 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश कुमार दीक्षित ने अपने परिचित श्री नितिन प्रधान निवासी गोपालगढ के मोबाईल नम्बर 9772829999 से व्हाट्सऐप कॉल कर बताया कि आरोपी श्री भगवान सिंह सरपंच ने मुझे कल रिश्वत के बारे में बातचीत करने के लिए बुलाया है। इस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत की गई। समय 11.15 पी.एम. पर मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर श्री नरेश कुमार कानि.को सुपुर्द कर डिजिटल वाईस रिकॉर्ड को चलाना व बंद करना समझाया एवं उक्त मामले के सम्बंध में बताया गया। श्री नरेश कुमार को गोपालगढ, भरतपुर पहुंचकर परिवादी श्री मुकेश कुमार दीक्षित के मोबाईल नम्बर 9982628380 देकर परिवादी से मिलकर आरोपीगण से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया तथा श्री नरेश कुमार कानि. को हिदायत दी की परिवादी व आरोपी के मध्य होनी वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को यथासंभव नजदीक रहकर छुपाव हासिल करते हुए देखने व सुनने का प्रयास करे एवं श्री नरेश कानि. 144 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु गोपालगढ, भरतपुर रवाना किया गया।

दिनांक 07.09.2022 को समय 01.42 पी.एम पर श्री नेरश कानि. 144 के मोबाईल नं. 8875231966 से मन उपअधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर व्हाट्सएप कॉल आया, जिसने बताया कि आरोपी अभी तक मिला नही है, संभवतः कल परवादी की आरोपी से बातचीत हो पाएगी। कानि. को आवश्यक हिदायत की गई।

दिनांक 08.09.2022 को समय 12.05 पी.एम पर श्री नेरश कानि. 144 के मोबाईल नं. 8875231966 से मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9414007788 पर व्हाट्सएप कॉल आया, जिसने बताया कि आरोपी से परिवादी की सत्यापन वार्ता हो चुकी है तथा परिवादी श्री मुकेश कुमार दीक्षित से वार्ता करवाई गई। परिवादी ने अवगत कराया कि मेरी आरोपी भगवान सिंह से रिश्वत के सम्बध में वार्ता हो गई है, उसने मुझसे मेरे काम के बदले में पहले 60,000 रुपयों की मांग की तथा मेरे द्वारा रिश्वती राशि कम करने की कहने पर कुल 35,000 रुपये रिश्वती राशि लेने पर सहमत हो गया। इस पर परिवादी को श्री नरेश कानि. के साथ मय रिश्वती राशि 35,000 रुपये शीघ्र कोटा आने की तथा गोपनीयता की हिदायत की गई। श्री नरेश कानि. 144 ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। समय 02.16 पी.एम. पर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात को कार्यालय में तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा रेन्ज,कोटा को जर्ये मोबाईल हालात अर्ज कर निर्देश प्राप्त किए। समय 02.30 पी.एम. पर श्री विशेष कानि. 585 को सचिव नगर विकास न्यास, कोटा के नाम तहरीर देकर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलब कर कार्यालय में लेकर आने हेतु रवाना किया गया। समय 04.30 पी.एम. पर श्री विशेष कानि. 585 मय इस कार्यालय द्वारा जारी तहरीर तथा उप सचिव नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जारी पत्र 3241 दिनांक 08.09.2022 जिस पर श्री कुशाल स्याल तथा श्री गणेश कुमार मालवकृषि पर्यवेक्षक का नाम तथा मोबाईल नं. अंकित हैं, को लेकर व दो स्वतन्त्र गवाहान श्री कुशाल स्याल तथा श्री गणेश कुमार मालव कृषि पर्यवेक्षक के कार्यालय में उपस्थित आया। समय 06.00 पी.एम. पर श्री राजेन्द्र कुमार बैरवा मय उप सचिव नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जारी पत्र 3245 दिनांक 08.09.2022 जिस पर श्री कुशाल स्याल के स्थान पर श्री राजेन्द्र कुमार बैरवा कनिष्ठ अभियंता को गोपनीय राजकार्य से भिजवाना

अंकित किया गया है साथ ही श्री राजेन्द्र कुमार बैरवा के मोबाईल नं. अंकित हैं लेकर उपस्थित कार्यालय आया। इस पर श्री कुशाल स्याल कृषि पर्यवेक्षक को सकुशल रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित दोनों गवाहान को स्वयं का परिचय देकर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया। गवाहान को समय 8.15 पी.एम. पर तैयारी के साथ पुनः कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात आने की हिदायत कर रवाना किया गया। समय 8.00 पी.एम पर श्री नरेश कुमार कानि. 144 मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय परिवादी श्री मुकेश कुमार दीक्षित उपस्थित कार्यालय आया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। आरोपी भगवान सिंह, सरपंच, गोपालगढ, परिवादी मुकेश कुमार दीक्षित से उसके द्वारा बेचानशुदा उसकी दुकाने पुनः क्रय करने तथा किसी अन्य को बेचान हेतु दुकानों के नक्शों को प्रमाणित करने व हस्ताक्षर करने की एवज में साठ हजार रुपये रिश्वती राशि की मांग कर पैंतीस हजार रुपये रिश्वती राशि लेने पर सहमत हुआ। समय 8.15 पी.एम. पर पूर्व के तलबिदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री राजेन्द्र कुमार बैरवा तथा श्री गणेश कुमार मालव उपस्थित कार्यालए आए, जिनका परिचय परिवादी श्री मुकेश कुमार दीक्षित से करवाया गया। दोनों गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक सहमति प्राप्त कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान से पढवाकर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 8.30 पी.एम. पर श्री असलम खान हैड कानि. 124 द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 08.09.2022 को कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी श्री मुकेश कुमार दीक्षित ने एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाज आरोपी श्री भगवान सिंह सरपंच की होना पहचान की। दोनो गवाहान के समक्ष फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की गई। समय 11.05 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि को पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री मुकेश कुमार दीक्षित ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के के 500–500 रूपये के 02 नोट तथा दो–दो हजार रुपये के 17 नोट कुल पैंतीस हजार रूपये निकालकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.स.	नोट	नोट का नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4KF 281998
2	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8EQ 260576
3	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	1AW227098
4	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	5AU543294
5	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	9GG716615
6	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	2MW988055
7	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	9CC841636
8	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	2EV169203
9	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	4CB210211
10	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	3KG184585
11	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	6FU416960
12	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	8DN954819
13	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	3AM850908
14	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	7AR165377
15	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	1FP080296
16	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	8FP476102
17	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	4HF648247
18	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	1CN120114
19	एक नोट दो हजार रुपये का नम्बरी	8BP819694

श्रीमति कीर्ती महिला कानि. 253 के द्वारा मालखाने से फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोफ्थिलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थिलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया। गवाह श्री गणेश कुमार मालव से परिवादी श्री मुकेश कुमार दीक्षित की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के

अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थिलीन पाउडर लगे नोटों में से श्रीमति कीर्ती महिला कानि. 253 से सीधे ही परिवादी की पहने हुए कुर्ते की साईड की दाहिनी जेब में रखवाए गए। एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमति कीर्ती महिला कानि. 253 के फिनोफ्थिलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थिलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटो को रास्ते मे अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटो को अपने कुर्ते की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर या मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल फोन पर मिसकॉल कर ईशारा करे। मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी के मोबाईल में सेव करवाये गये। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थिलीन पाउडर की शीशी जरिये श्रीमति कीर्ती महिला कानि. 253 के वापस मालखाने मे रखवाई गई। नोटो पर पावडर लगाने मे प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास एवं श्रीमति कीर्ती महिला कानि. 253 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया जाकर गिलास को कार्यालय मे ही छोड़ा गया। कार्यवाही में काम मे आने वाले कांच की शीशियों मय ढक्कन, कांच के गिलासों को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी के कुर्ते की साईड की बांयी जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड करे।

दिनांक 09.09.2022 को समय 12.20 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री असलम खान हैड कानि. 124, मय परिवादी श्री मुकेश कुमार दीक्षित, श्री गणेश कुमार मालव को सरकारी वाहन बोलेरो नं. आर. जे. 14 यू सी 9356 से चालक श्री विशेष कुमार 585 के तथा श्री गिर्राज कानि. 387, श्री पवन कुमार कानि. 272, श्री नरेश कुमार 144 तथा स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र कुमार बैरवा को कोटा से पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन से समय 1.55 ए.एम. पर रवाना होने के तथा महुवा जिला दौसा में मिलने के निर्देश देकर मय लैपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स के गोपालगढ, जिला भरतपुर के लिए रवाना हुआ। समय 06.30 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पूर्व का रवानाशुदा मय हमराहीयान मय सरकारी वाहन कस्बा महवा स्थित खण्डेलवाल ढाबे पर पहुंचा जहां पूर्व के रवानाशुदा श्री गिर्राज कानि. 387, श्री पवन कुमार कानि. 272, श्री नरेश कुमार 144 तथा स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र कुमार बैरवा मय प्राईवेट वाहन स्विफ्ट डिजाईर उपस्थित मिले तथा बताया कि कोटा से पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना होकर हिण्डौन पहुचे, जहां से परिवादी के मिलने वाले की स्विफ्ट डिजायर कार से रवाना होकर हम आपके बताए अनुसार खण्डेलवाल ढाबा पर आ गए, जहां मन उप अधीक्षक तथा ट्रेप टीम के सदस्य आरोपी की वर्तमान लोकेशन की जानकारी करने हेतु मुकीम हुए। समय 8.45 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी के सदस्य मय सरकारी व प्राईवेट वाहन से मय लैपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स के कस्बा गोपालगढ, भरतपुर के लिए रवाना हुआ। समय 10.45 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस, दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व एसीबी जाब्ता परिवादी के मिलने वाले श्री नितिन प्रधान की कस्बा गोपालगढ स्थित इण्डेन गैस एजेन्सी परिसर में पहुँचे, जहॉ आरोपी की वर्तमान लोकेशन गांव में नही होना जानकारी में आने पर एजेन्सी परिसर में मुकीम हुए। समय 3.00 पी.एम. पर परिवादी ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया कि आरोपी श्री भगवान सिंह सरपंच के कस्बा पहाडी स्थित तहसील कार्यालय में होने की जानकारी मिली है। इस पर परिवादी से दो प्राईवेट मोटर साईकिलो की व्यवस्था करवाई गई। परिवादी को समझाया कि आप आगे–आगे अपनी मोटर साईकिल से चलो तथा आरोपी भगवान सिंह सरपंच को कस्बा पहाडी स्थित तहसील कार्यालय तथा आस–पास तलाश करना उसके मिलने पर मन् उपअधीक्षक को अवगत करवाना। तत्पश्चात् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाब्ता जर्ये सरकारी वाहन व दो प्राईवेट मोटर साईकिलों से परिवादी की मोटर साईकिल के पीछे–पीछे तहसील कार्यालय परिसर कस्बा पहाडी के लिए रवाना हुआ। समय 3.15 पी.एम. पर मन उपअधीक्षक पुलिस पूर्व का रवानाशुदा मय हमराहीयान कस्बा पहाडी स्थित तहसील भवन के पास पहुंचा तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को तहसील परिसर के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम रहने के निर्देश दिए। समय 4.00 पी.एम. पर परिवादी मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया तथा अवगत करवाया कि मुझे आरोपी नही मिला। इस पर परिवादी को कामां रोड पर चलने की हिदायत की तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान कामां रोड, कृषि मण्डी परिसर के सामने एकान्त स्थान पर पहुंचा। समय 4.29 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी के मोबाईल नम्बर

9982628380 से स्पीकर ऑन कर आरोपी के मोबाईल नम्बर 9983222411 पर कॉल करवाया तो आरोपी ने कस्बा पहाडी में होना तथा व्यस्त होना बताया, परिवादी द्वारा कस्बा पहाडी में आकर मिलने हेतु कहा गया तो आरोपी ने गांव गोपालगढ में ही आकर मिलने के लिए कहा। उक्त मोबाईल वार्ता को कार्यालय के सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया। समय 5.00 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी, मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता के मय हमराहीयान सरकारी वाहन व मोटर साईकिलो से रवाना होकर परिवादी के मिलने वाले श्री नितिन को कस्बा गोपालगढ स्थित इण्डेन गैस एजेन्सी परिसर में पहुँचे, जहां आरोपी के गांव में वापिस आने का इंतजार करने हेतु मुकीम हुए। समय 5.30 पी.एम. पर परिवादी को कस्बा गोपालगढ स्थित आरोपी के घर की ओर यह देखने के लिए रवाना किया कि वह अपने घर पर आया है या नही। समय 6.10 पी.एम. पर पूर्व का रवानाशुदा परिवादी उसके परिचित श्री नितिन प्रधान की एण्डेन गैस एजेन्सी, गोपालगढ पर उपस्थित आया तथा बताया कि मैं अभी देखकर आया हूं आरोपी श्री भगवान सिंह सरपंच अपने निवास पर आ गया है तथा रास्ते में मिलने पर उसने मुझे अपने घर रिश्वती राशि लेकर बुलाया है। समय 06.18 पी.एम. पर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करवाकर मुनासिब हिदायत कर आरोपी श्री भगवान सिंह, सरपंच के कस्बा गोपालगढ स्थित आवास पर स्वयं की मोटर साईकिल से रवाना किया तथा परिवादी को हिदायत की आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करे। मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री गिर्राज कानि. 387, श्री नरेश कानि. 144 मय वाहन सरकारी मय चालक श्री विशेष कानि. 585 तथा शेष एसीबी जाब्ता व दोनों स्वतंत्र गवाहान को दो मोटर साईकिलो से आरोपी के घर के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने हेतु निर्देशित कर अपने पीछे–पीछे थोडी दूरी बनाकर आने की हिदायत कर परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुआ। मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी से दूरी बनाते हुये परिवादी के पीछे–पीछे आरोपी के घर के बाहर स्थित दीवार के पास पहुंचकर, वहीं खडा होकर परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगा, ट्रेप पार्टी के अन्य सदस्य भी आरोपी के घर के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुए। समय 06:28 पी.एम. पर परिवादी श्री मुकेश दिक्षित पुत्र श्री रमेश चन्द्र जाति ब्रहमण निवासी वार्ड नं. 02, बैंक के पास, गोपालगढ(पहाडी) जिला भरतपुर ने आरोपी सरपंच श्री भगवान सिंह के रिहायशी आवास के परिसर में खडे होकर अपने सिर पर दोनों हाथ फैरकर रिश्वत राशि प्राप्त करने का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों गवाहान मय ट्रेप टीम के सदस्यों के परिवादी श्री मुकेश कुमार दिक्षित के पास पहुंचा,परिवादी ने मकान के अंदर जाते हुऐ हल्की क्रीम रंग की शर्ट व पेंट पहने हुऐ व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि यह ही सरपंच श्री भगवान सिंह है, जिन्हानें मुझसे मेरी दुकानों के नक्शें प्रमाणित करने की एवज में रिश्वत राशि 35,000 रूपये अपने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की दायीं जेब में रखे है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी मय दोनों स्वतंत्र गवाहान क्षणभर की देरी किये बिना परिवादी द्वारा बताये गये व्यक्ति के पीछ–पीछे उसके मकान के अंदर मुख्य दरवाजे के पास बने कमरे के पास पहुँचा तो वह व्यक्ति पहने हुये कपडे खोलता हुआ व अपनी पत्नी से बातचीत करता हुआ मिला। मन पुलिस उप अधीक्षक ने उस व्यक्ति व उसकी पत्नी को अपने नाम व पद का परिचय देकर आने के मंतव्य से अवगत कराया व उससे उसके नाम पते पूछे तो उसने अपना नाम भगवानसिंह पुत्र रामजीलाल जाति धोबी उम्र 38 साल निवासी मानोतिया मौहल्ला ग्राम गोपालगढ, थाना गोपालगढ, जिला भरतपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत, गोपालगढ, पंचायत समिति पहाडी, जिला भरतपुर बताया। इतने में आरोपी व उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगे, आरोपी व उसकी पत्नी की आवाज सुनकर आरोपी के पडौसी व उसके परिवारजन इक्कठे हो गये तथा आरोपी को छुडाने का प्रयास करने लगे तथा मन उप अधीक्षक व ट्रेप पार्टी से धक्का मुक्की करने लगे। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने जरिये मोबाईल थानाधिकारी थाना गोपालगढ को घटना की जानकारी दी। मन उप अधीक्षक पुलिस को युक्तियुक्त आंशका हुई कि आरोपी के परिजन आरोपी को भगा सकते है तथा फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगे रिश्वत राशि के नोटों को खुर्द बुर्द कर सकते है, इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने बमुशिकल आरोपी का दायां हाथ श्री गिरिराज कानि. 387 व बायां हाथ श्री नरेश यादव कानि. 144 से पकडवाया तथा आरोपी को सरकारी वाहन में बैठाने लगे तो आरोपी की पत्नी व परिवारजनों ने पुनः आरोपी को छुडाने के लिए मन उप अधीक्षक व ट्रेप पार्टी से गाली गलौच व धक्का मुक्की करने लगे व आरोपी के घर के सामने आम सडक पर खडे सरकारी वाहन में नहीं बैठाने दिया, धक्का मुक्की में आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर रिश्वत राशि अपनी शर्ट की जेब से निकालकर फैंक दी, मन उप अधीक्षक पुलिस व ट्रेप पार्टी ने बमुशिकल 3 नोट 2000–2000 रूपये के व 2 नोट 500–500रूपये के बरामद किये। बरामदशुदा नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री गणेश कुमार मालव के पास सुरक्षित रखवाये गये। मन उप अधीक्षक पुलिस आरोपी को सरकारी वाहन में बैठाकर थाना गोपालगढ के लिए रवाना हुआ तो आरोपी के परिवारजन तथा पडौसी सरकारी वाहन पर पीछे से पत्थर मारने लगे। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान पूर्व का रवानाशुदा आरोपी को लेकर थाना गोपालगढ आया। जहॉ थाने के बाहर ही थानाधिकारी श्री राजवीर सिहं मय जाब्ता उपस्थित मिले। आरोपी के परिवारजन मोटरसाईकिलों से पीछा करते हुये थाने

पर आ गये। थोडी देर बाद ही परिवादी व अन्य जाब्ता मोटरसाईकिल से थाने पर आया। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया। थानाधिकारी को हालात से अवगत करा ट्रेप कार्यवाही हेतु कमरा उपलब्ध कराने बाबत मौखिक स्वीकृति प्राप्त कर थाना परिसर के एक कक्ष में आरोपी से परिवादी श्री मुकेश से रिश्वत राशि 35000रूपये प्राप्त करने बाबत पूछताछ की गई तो आरोपी भगवानसिंह ने बताया कि मैने श्री मुकेश कुमार दिक्षित से किसी प्रकार की रिश्वत राशि नहीं ली है। इस पर उपस्थित परिवादी श्री मुकेश कुमार द्वारा आरोपी की बात का खण्डन करते हुऐ बताया गया कि मेरी मैन बाजार गोपालगढ की दुकानें वर्ष 2021 में श्री गजेन्द्र शर्मा को बेचान कर दी थी, मैं गजेन्द्र शर्मा से वापस खरीद रहा हूं। मैं मेरी 2 दुकान श्रीमती कमलेश शर्मा निवासी गोपालगढ को बेच रहा हूं, मेरी दुकाने बेचने के लिए दुकानों के नक्शें को सरपंच व ग्राम सेवक से प्रमाणित करवाने के लिए सरपंच साहब से मिला तो सरपंच साहब ने नक्शे प्रमाणित करने की एवज में मेरे से पहले तो 60 हजार रूपये मांगे, फिर 40 हजार रूपये व मेरे निवेदन करने पर 35 हजार रूपये लेने पर सहमत हुये, आज इन्होने इनकी मांग अनुसार मेरे से इनके घर पर 35000 रूपये लेकर अपनी शर्ट की जेब में रखे, जिसके बाद इन्होने मेरी दुकानों के नक्शो पर अपने हस्ताक्षर कर ग्राम पंचायत की सील लगाकर मुझे दिये, जो मूल ही मैं पेश कर रहा हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल नक्शों के पृष्ठ पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिए गए। परिवादी रिश्वत राशि आरोपी को दिया जाना ताईद करता है, अतः आरोपी भगवानसिंह, सरपंच की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। थाना परिसर से एक बोतल में साफ पानी मंगवाकर दो अलग अलग कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया गया। कांच के दोनों गिलासों में एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री भगवान सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को उक्त गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया। जिन्हें दो कांच की शिशीयों में आधा आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH–1 व RH–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गटमैला आया। जिन्हें दो कांच की शिशीयों में आधा आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH–1 व LH–2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी द्वारा आरोपी ने रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर अपनी शर्ट में जेब में रखना बताने पर आरोपी द्वारा वक्त घटना पहनी हुई हल्के क्रीम रंग की शर्ट की जेब की धुलाई कराना आवश्यक है। अतः थाना परिसर से एक बोतल में साफ पानी मंगवाकर दो अलग अलग कांच के गिलासों में साफ पानी भरवाया गया। कांच के दोनों गिलासों में एक एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। कांच के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी द्वारा वक्त घटना पहनी हुई शर्ट की जेब को उलटवाकर डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे दो कांच की शिशियों में आधा आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क S-1 व S-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी की शर्ट की जेब को सुखाकर जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सिल चिट कर मार्क S अंकित कर बतौर वजह सबूत जब्त किया गया। स्वतंत्र गवाह श्री गणेश कुमार मालव के पास रखी बरामदशुदा रिश्वत राशि को दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया तो दो–दो हजार रूपये के 03 नोट व पॉच–पॉच सौ रूपये के 02 कुल 7000 रूपये होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान ने उक्त नोटों का मिलान फर्द पेशकशी नोट से कर कहा कि ये वही नोट है, जिन पर कार्यालय में फिनोफथ्लीन पाउडर लगाया था। बरामदशुदा नोटों के नम्बरों का विवरण निम्न है–

क्र. सं.	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3KG 184585
2.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8BP 819694
3.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4CB 210211
4.	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	4KF 281998
5.	एक नोट पॉच सौ रूपये का नम्बरी	8EQ 260576

उक्त नोटों को एक सफेद रंग के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। चूंकि फर्द पेशकशी नोट में अंकित नोटों में से मात्र 5 नोट ही मौके पर बरामद हुये है, फर्द पेशकशी में अंकित शेष 14 नोट जिनको आरोपी एंव उसके परिजनो द्वारा खुर्दबुर्द किये जाने से बरामद नही किया जा सका है, नोटों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1AW227098

2.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5AU543294
3.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9GG 716615
4.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2MW 988055
5.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9CC841636
6.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2EV 169203
7.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6FU 416960
8.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8DN 954819
9.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3AM 850908
10.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7AR 165377
11.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1FP 080296
12.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8FP 476102
13.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4HF 648247
14.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1CN 120114

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री भगवानसिंह पुत्र रामजीलाल जाति धोबी उम्र 38साल निवासी मानोतिया मौहल्ला ग्राम गोपालगढ, थाना गोपालगढ, जिला भरतपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत, गोपालगढ, पंचायत समिति पहाडी, जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री मुकेश कुमार दिक्षित से उसकी दुकानों के नक्शें प्रमाणित करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन अनुसार 35,000 रूपये की मांग करना तथा वक्त रिश्वत लेन देन वार्तानुसार 35,000रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना, दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होना व वक्त घटना पहनी हुई शर्ट की जेब के धोवन का रंग गहरा गुलाबी प्राप्त होने व रिश्वत राशि को खुर्द–बुर्द करने से आरोपी द्वारा धारा 7 पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 व धारा 201 भादस का अपराध करना पाया गया है। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व हाथ धुलाई मुर्तिब कर सम्बंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी के लिए पेन्ट शर्ट की व्यवस्था कर पहनाए गए। समय 11.10 पी.एम. पर वक्त रिश्वत लेन–देन रिकॉर्ड वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री असलम खान हैड कानि. द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी भगवान सिंह सरपंच की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान, आरोपी व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन–देन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री असलम खान हैड कानि. 124 से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 10.09.2022 को समय 12.15 ए.एम. पर परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 09.08.2022 को समय 04.29 पी.एम. पर हुई रिकॉर्ड मोबाईल वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से श्री असलम खान हैड कानि. 124 द्वारा कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी भगवान सिंह सरपंच की होना पहचान की। स्वतंत्र गवाहान, आरोपी व परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता मेरे निर्देशन में श्री असलम खान हैड कानि. 124 से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.40 ए.एम. पर आरोपी श्री भगवानसिंह, सरपंच ग्राम पंचायत, गोपालगढ, पंचायत समिति पहाडी, जिला भरतपुर को उनकी आवाज का नमूना देने बाबत् नोटिस कमांक दस्ती दिनांक 10.09.2022 दिया गया तो आरोपी ने स्वयं के हस्तलेख से नोटिस नमूना आवाज पर लिखकर दिया कि मैं मेरी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नहीं देना चाहता हूं। नोटिस नमूना आवाज को शामिल पत्रावली किया गया। समय 12.50 ए.एम. पर आरोपी श्री भगवानसिंह, सरपंच ग्राम पंचायत, गोपालगढ, पंचायत समिति पहाडी, जिला भरतपुर को मन् विजयसिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा देहात ने अपने पूर्ण नाम एंव पद का परिचय दिया एंव आरोपी को उसके अपराध को पढकर सुनाया। आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के आधारों एंव कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया जाकर प्रकरण हाजा में हस्ब कायदा गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी की जामा तलाशी गवाह श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा लिवाई गई तो आरोपी के पास कोई अन्य वस्तु प्राप्त नही हुई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की इच्छानुसार उसके मित्र श्री विष्णु गर्ग को जर्ये मोबाईल दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की गई। समय 01.10

ए.एम पर दिनांक 08.09.2022 को परिवादी श्री मुकेश कुमार दीक्षित व आरोपी श्री भगवान सिंह, सरपंच के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 09.09.2022 को समय 16.29 पी.एम. पर परिवादी व आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता तथा दिनांक 09.09.2022 को परिवादी तथा आरोपी के मध्य हुई रिश्वत लेन–देन वार्ता को कार्यालय के लेपटोप से मेरे निर्देशन में श्री असलम खान हैड कानि. 124 के द्वारा चार सी.डी. तैयार करवाई गई। एक सी.डी. वजह सबूत न्यायालय के लिए एवं एक सी.डी आरोपी के लिए एंव एक सीडी एफ.एस.एल. से नमूना आवाज मिलान के लिए पृथक–पृथक खाकी कागज के कवर में रखकर कपड़े की थैलियों में बन्द कर सील मोहर की गई एवं कपडे की थैली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी. अनुसंधान अधिकारी के लिए अनसील्ड ही रखी गई। तैयारशुदा चार सी.डी. को कब्जे एसीबी लिया गया। कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 2.00 ए.एम.तक ट्रेप कार्यवाही में की जाने वाली कार्यवाहीयां पूर्ण की जा चुकी थी चूंकि समय अधिक हो गया था तथा ट्रेप पार्टी के सदस्य थके हुए थे अतः गिरफ्ताशुदा आरोपी श्री भगवान सिंह सरपंच को सुरक्षा की दृष्टि से थाना गोपालगढ की हवालात में जमा करवाने हेतु थानाधिकारी थाना गोपालगढ के नाम पत्र क्रमांक–दस्ती दिनांक 10.09.2022 जारी कर आरोपी को थाने की हवालात में दाखिल करवाया गया। समय 6.55 ए.एम. पर चूंकि ट्रेप कार्यवाही में नक्शा–मौका घटनास्थल तथा अन्य कार्यवाहियां की जानी थी, अतः थाने की हवालात में बंद आरोपी श्री भगवान सिंह को प्राप्त करने हेतु थानाधिकारी थाना गोपालगढ के नाम पत्र क्रमांक–दस्ती दिनांक 10.09.2022 जारी कर आरोपी श्री भगवान सिंह सरपंच को प्राप्त किया गया। चूंकि आरोपी द्वारा उसके निवास परिसर में रिश्वती राशि ग्रहण की गई थी, परिस्थिति वश तथा रात्रि का समय हो जाने से नक्शा–मौका घटना स्थल मुर्तिब नही किया जा सका, अतः समय 08.00 ए.एम. पर मन् उपअधीक्षक पुलिस मय पत्रावली, परिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान के सरकारी वाहन मय चालक श्री विशेष कुमार कानि. 585 के घटना स्थल आरोपी के गोपालगढ, मानोतिया मोहल्ला स्थित आवास हेतु रवाना हुआ तथा आरोपी भगवान सिंह को एसीबी के शेष जाप्ते के पास थाने पर ही छोडा गया तथा जाप्ते को मुनासिब हिदायत की गई। समय 08.10 ए.एम. मन् उप अधीक्षक पुलिस पूर्व का रवानाशुदा मय हमराहीयान आरोपी के गोपालगढ, मानोतिया मोहल्ला स्थित आवास पहुंचा, जहां आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने वाले स्थल का निरीक्षण कर परिवादी की निशादेही से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। घटना स्थल पर खुर्द–बुर्द की गई रिश्वत राशि की भी तलाश की गई। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं थी अतः परिवादी श्री मुकेश कुमार दिक्षित को घटनास्थल से सकुशल रुक्सत किया। समय 08.40 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान बाद कार्यवाही नक्शा–मौका घटनास्थल, मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान थाना गोपालगढ के लिए रवाना हुआ। समय 08.50 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस पूर्व का रवानाशुदा मय हमराहीयान उपस्थित थाना परिसर गोपालगढ आया। समय 11.25 ए.एम. पर आरोपी श्री भगवान सिंह सरपंच के निर्वाचन से सम्बंधित प्रमाण पत्र, दस्तावेजों तथा सेवा विवरण की प्रमाणित प्रति चाहने हेतु पत्र क्रमांक – स्पेशल–02 दिनांक 10.09.2022 जारी कर ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति पहाडी को जर्ये ई–मेल प्रेषित किया गया। समय 12.30 पी. एम. पर आरोपी श्री भगवान सिंह सरपंच का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु चिकित्साधिकारी सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, गोपालगढ (पहाडी) जिला भरतपुर को पत्र क्रमांकः स्पेशल– 03 दिनांक 10.09.2022 जारी कर श्री गिर्राज कानि. 387, श्री नरेश कानि. 144 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री विशेष कुमार 585 को मय आरोपी श्री भगवान सिंह, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, गोपालगढ (पहाडी) जिला भरतपुर रवाना किया गया। समय 1.04 पी.एम. पर खण्ड विकास अधिकारी, पहाडी द्वारा आरोपी श्री भगवान सिंह सरपंच का सेवा विवरण के सम्बंध जारी पत्रांक 3113 दिनांक 10.09.2022 जर्ये व्हाट्स एप्प प्राप्त हुआ, जिसका प्रिंट प्राप्त कर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 1. 10 पी.एम. पर पूर्व के रवानाशुदा श्री गिर्राज कानि. 387, श्री नरेश कानि. 144 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री विशेष कुमार 585 मय आरोपी श्री भगवान सिंह बाद स्वास्थ्य परीक्षण आरोपी उपस्थित थाना गोपालगढ आए। आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण पत्र लाकर पेश किया, जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री भगवानसिंह पुत्र रामजीलाल, जाति धोबी, उम्र 38 साल, निवासी मानोतिया मौहल्ला ग्राम गोपालगढ, थाना गोपालगढ, जिला भरतपुर हाल सरपंच ग्राम

पंचायत, गोपालगढ, पंचायत समिति पहाडी, जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री मुकेश कुमार दिक्षित से उसकी दुकानों के नक्शें प्रमाणित करने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन अनुसार 35,000रूपये की मांग करना तथा वक्त रिश्वत लेन देन वार्तानुसार 35,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना, रिश्वत राशि को खुर्द बुर्द करना, दाहिने हाथ के धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होना व वक्त घटना पहनी हुई हल्के क्रीम कलर की शर्ट की जेब के धोवन का रंग गहरा गुलाबी प्राप्त होने से आरोपी के विरुद्ध धारा 7 पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 व धारा 201 भादस का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। इत्यादी सम्पूर्ण तथ्यों से आरोपी श्री भगवानसिंह पुत्र रामजी लाल, जाति धोबी उम्र 38 साल, निवासी मानोतिया मौहल्ला ग्राम गोपालगढ, थाना गोपालगढ, जिला भरतपुर हाल सरपंच ग्राम पंचायत, गोपालगढ, पंचायत समिति पहाडी, जिला भरतपुर द्वारा जुर्म धारा 7 पी.सी.(संशोधित) एक्ट 2018 व 201 भा.द.स. का अपराध कारित करना पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(विजय सिंह)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा देहात

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 201 भादंसं में आरोपी श्री भगवान सिंह पुत्र श्री रामजीलाल, सरपंच, ग्राम पंचायत गोपालगढ, पंचायत समिति पहाड़ी, जिला भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 359/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

12.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक:-3118-22 दिनांक 12.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।

12.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।